अत्यावश्यक

निदेशालय पेंशन एवं पेशनंर्स वेलफेयर विभाग,राज0,जयपुर

क्रमांक : प.5 (215+216)निपेवि / नियम / 2015 / पार्ट I 1245-85 H दिनांक 17-05-2016

कोषाधिकारी (समस्त)
राजस्थान

विषय :–बकाया पेंशन / जीवन कालीन पेंशन बकाया राशी के भुगतान की स्वीकृती जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में पेंशन विभाग के स्तर से बकाया पेंशन / जीवन कालीन बकाया पेंशन राशी के भुगतान की स्वीकृती आन लाईन जारी करनें का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 143 एवं 145 के अन्तर्गत भुगतान की स्वीकृती जारी करनें हेतु प्रकरण भिजवाने से पूर्वः–

(1) प्रकरण का परीक्षण अपने स्तर पर करनें के पश्चात यह निश्चय कर लिया जावे की प्रकरण में वांछित भुगतान की स्वीकृती नियम 143 अथवा 145 के अन्तर्गत सही है। एक बार विकल्प का चयन करने पश्चात उसमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

(2) यह सुनिश्चित कर लें कि बकाया पेंशन / जीवन कालीन पेंशन बकाया की राशी की गणना शीट आन लाईन कम्प्यूटर में प्रदर्शित हो रही है। भुगतान की स्वीकृती आन line हेतु प्रकरण आन लाइन भिंजवाने पर ही स्वीकृती जारी की जा सकेगी।

भवदीय

निदेशक
(के.के.गैडियोक)